कार्यालय,
संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)
दूरभाष कमांक 0771–3510989 ईमेल jdeduraipur@gmail.com

आदेश

क्र./सतर्कता/निलंबन/एफ–476 BBZR/2025/ 3016 रायपुर, दिनांक 06 AUG 2025

कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. का पत्र क्रमांक/निलंबन प्रस्ताव/2025/7286 बलौदाबाजार, दिनांक 05.08.2025 द्वारा श्री नेतराम गिरी, प्रभारी प्रधान पाठक (शिक्षक एल.बी.) एवं श्री वेदप्रकाश पटेल शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर, वि.ख.–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. को निलंबित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर, वि.ख.–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में दिनांक 28.07.2025 को रसोईया द्वारा बनाये गये मध्यान्ह भोजन में करेला एवं आलू की मिक्स सब्जी को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिये जाने के बाद भी रसोईया एवं प्रधानपाठक द्वारा जानबुझकर परोसे जाने की शिकायत दिनांक 01.08.2025 को विभिन्न समाचार चैनलों में प्रसारित/प्रकाशित हुआ है। समाचार चैनलो से 84 बच्चो को मध्यान्ह भोजन सेवन पश्चात गुपचुप तरीके से एंटी–रैबीज टीका भी लगवाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उपरोक्त पत्र अनुसार उक्त घटनाक्रम में श्री नेतराम गिरी प्रभारी प्रधान पाठक (शिक्षक एल.बी.) एवं श्री वेदप्रकाश पटेल शिक्षक एल.बी. प्रथम दृष्टया दोषी है, जिनके द्वारा दिनांक 28.07.2025 को रसोईया द्वारा बनाये गये मध्यान्ह भोजन को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिये जाने के बाद भी परोसा गया है।साथ ही इनके द्वारा उक्त घटना को शाला के शिक्षकों, संकुल समन्वयक, संकुल प्राचार्य के साथ मिलकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा यदि समय रहते कुत्ते द्वारा जूठा किये गये भोजन को नहीं परोसा जाता तो उक्त स्थिति निर्मित नहीं होती। उनका उक्त कृत्य कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

एतद् द्वारा श्री नेतराम गिरी प्रभारी प्रधान पाठक (शिक्षक एल.बी.) एवं श्री वेदप्रकाश पटेल शिक्षक एल.बी., शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर, वि.ख.–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री नेतराम गिरी एवं श्री वेदप्रकाश पटेल को निलंबन अवधि में, नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिमगा, जिला–बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) नियत किया जाता है।

(संजीव श्रीवास्तव)
संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग–रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./सतर्कता/निलंबन/एफ–476 BBZR/2025/ 3017 रायपुर, दिनांक 06 AUG 2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधितों को आदेश तत्काल तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालयीन स्था.–2, को सूचनार्थ।
7. श्री नेतराम गिरी प्रभारी प्रधान पाठक (शिक्षक एल.बी.) सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. श्री वेदप्रकाश पटेल शिक्षक एल.बी. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग–रायपुर (छ.ग.)